कृषि विज्ञान केन्द्र, फतेहपुर, सीकर

(निदेशालय विस्तार शिक्षा)
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
फतेहपुर, सीकर (राजस्थान),

क्र / वरि. वै. एवं अध्यक्ष / के.वी.के. / निविदा / 2022 / 63-69 दिनॉक : 16.05.2022

खुली निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि विज्ञान केन्द्र फतेहपुर, सीकर द्वारा भोजन व चाय नाश्ते की व्यवस्था हेतु सीलबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा सम्बन्धी सभी अर्हताएं एवं शर्तें निविदा प्रपत्र में दर्शायी गयी है एवं कार्यालय सूचना पट्ट तथा वेबसाइट www.sknau.ac.in एवं sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

कार्य का क्रमांक एवं नाम	1. भोजन व चाय नाश्ते की व्यवस्था
कार्य का विवरण	प्रशिक्षणों में भोजन व चाय नाश्ते की व्यवस्था
कार्य की अनुमानित मात्रा / लागत रू	4.90 लाख रू.
निविदा फार्म की लागत	रू 500 / –
धरोहर राशि	अनुमानित राशि का 5 प्रतिशत
प्रपत्र क्रय करने की दिनांक व समय	16.05.2022 से 23.05.2022 को दोपहर 12.00 बजे तक
निविदा जमा कराने का दिनांक व समय	23.05.2022 को दोपहर 2.00 बजे तक
निविदा खोलने का दिनांक व समय	23.05.2022 को दोपहर 3.30 बजे

निविदा को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

16.5.22

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
फतेहपुर, सीकर

क्र / वरि. वै. एवं अध्यक्ष / के.वी.के. / निविदा / 2022 / दिनॉक : 16.05.2022

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेशित है:–

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान निदेशक महोदय, प्रसार शिक्षा निदेशालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर ।
3. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
4. सस्थां सलाहकार समिति प्रभारी / सदस्य / लेखाषाखा / ....।
5. प्रभारी, सिमका श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेशित कर लेख है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट www.sknau.ac.in व http://sppp.rajasthan.gov.inपर अपलोड करना सुनिश्चित करे।
6. कृषि विज्ञान केन्द्र फतेहपुर, सीकर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
7. कृषि महाविद्यालय / कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर, सीकर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
8. रक्षित फाइल

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
फतेहपुर, सीकर

कृषि विज्ञान केन्द्र, फतेहपुर सीकर
(निदेशालय विस्तार शिक्षा)
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
फतेहपुर सीकर (राजस्थान),

क्र/वरि. वै. एवं अध्यक्ष/के.वी.के./निविदा/2022/63-69 दिनांक 16.05.2022

खुली निविदा प्रपत्र

खुली निविदा सूचना क्रमांक/वरि. वै. एवं अध्यक्ष/के.वी.के./निविदा/2022/63-69	दिनांक 16.05.2022
1. कार्य का नाम व क्रमांक	1. **भोजन व चाय नाश्ते की व्यवस्था**
2. कार्य की अनुमानित अवधि	वित्तिय वर्ष 2022-23
3. निविदा फार्म का मूल्य	500/- रूपये बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक/नगद
4. धरोहर राशि	अनुमानित लागत राशि का 5 प्रतिशत
5. कार्य की अनुमानित मात्रा	संस्थांगत व असंस्थांगत प्रशिक्षणों मे भोजन व चाय नाश्ते की व्यवस्था लगभग 4.90 लाख रू.
6. प्रपत्र क्रय करने की दिनांक व समय	16.05.2022 से 23.05.2022 को दोपहर 12.00 बजे तक
7. प्रपत्र जमा कराने की दिनांक व समय	23.05.2022 को दोपहर 2.00 बजे तक
8. निविदा खोलने की दिनांक व समय	23.05.2022 को दोपहर 3.30 बजे
9. पृष्ठ संख्या पांच से सात	निविदा की शर्ते
10. परिशिष्ट संख्या एक – पृष्ठ संख्या आठ	चाय, नाश्ते व भोजन की दरे

निविदा की शर्तेः–

1	निविदादाता के निविदा छुटने के पश्चात अनुमानित लागत राशि 4.90 की 5 प्रतिशत धरोहर राशि कार्यादेश मिलने के पश्चात 7 दिवस मे जमा करवानी होगी। बैंकर चैक / डी.डी. "Senior Scientist and Head, Bhartia Krishi Vigyan Kendra, Fatehpur" के पक्ष में देय होगी।
2	यह दर संविदा अनुबंध पत्र निश्पादित करने से एक वर्ष तक मान्य होगी है।
3.	प्रस्तावित निविदा सीलबन्द लिफाफे में जिसपर " **भोजन व चाय नाश्ते की व्यवस्था**" लिखा हो को वरिश्ठ वैज्ञानिक एव अध्यक्ष कृषि विज्ञान केन्द्र, फतेहपुर सीकर को प्रेषित होनी चाहिए।
4.	➢ सीलबन्द एक लिफाफे तकनिकी रूप से समिलित करने हेतू निम्नांकित संलग्न दस्तावेज आवश्यक रूप से रखे जावे। इसके अभाव में निविदा को शामिल नहीं किया जायेगा। जिसके उपर बाहर **तकनिकी दस्तावेज** लिखा जावे। 1. निविदादाता/फर्म का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से पंजीकरण संख्या एवं प्रमाण पत्र की फोटोप्रति 2. सर्विस टैक्स/ जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर की प्रति 3. निविदा शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर सहित। 4. पैनकार्ड की छायाप्रति । 5. बिड सिक्यूरिटी के सम्बन्ध मे घोषणा पत्र (Declaration) 6. अन्य आवश्यक दस्तावेज यदि हो। ➢ सीलबन्द दुसरे लिफाफे मे वित्तिय रूप से समिलित करने हेतू निविदादाता द्वारा भरी गई दर का प्रपत्र परिशिष्ट स0 1 अवश्य एवं अलग से रखा जावे। जिसके उपर बाहर **वित्तिय दरें** लिखा जावे। ➢ दोनो लिफाफो को एक बडे लिफाफे 1 में बन्द कर कार्यालय मे प्रस्तुत किया जावे
5.	निविदादाताओं द्वारा धरोहर राशि के एवज मे अनुमानित लागत राशि का 5 प्रतिशत जमा करवाना होगा।
6.	अनुबंध अवधि के दौरान समय-समय पर होने वाले प्रशिक्षण कार्य (भो/ बैठक इत्यादि मे आदेशानुसार उपस्थित प्रशिक्षणार्थियो/ व्यक्तियो हेतु भोजन, अल्पाहार एव चाय की व्यवस्था की जानी है। जिसकी सूचना समय-समय पर दी जाती रहेगी।

7.	भोजन में शुद्ध एवं अच्छी किस्म की सामग्री (एग्मार्क) का प्रयोग करना होगा तथा तेल मूंगफली, सरसों (डबल रिफाईण्ड) का प्रयोग करना होगा।
8.	सब्जी ऋतु के अनुसार अलग–अलग प्रकार की व ताजा देनी होगी।
9.	भोजन तैयार करने एवं वितरण में साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा।
10.	भोजन की व्यवस्था तथा तैयार भोजन की शुद्धता की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
11.	भोजन/ चाय तैयार करने हेतु समस्त सामग्री व श्रम शक्ति निविदिदाता की होगी।
12.	भोजन व्यवस्था/ केटरिंग हेतु बर्तन इत्यादि निविदादाता को स्वयं लाने होंगे। जिसका अलग से कोई भुगतान नही किया जायेगा।
13.	भोजन वितरण कार्य स्वयं फर्म/ ठेकेदार द्वारा ही करवाना होगा।
14.	उक्त वर्णित शर्तो के अनुरूप कार्य नहीं करने पर ठेकेदार को तत्सम्बन्धित होने वाले भुगतान में से शास्ति के रूप में कटौतियाँ की जा सकेगी। इस संबंध में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र फतेहपुर सीकर का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
15.	निविदादाता के कार्य करने में असफल होने पर उसकी रिस्क एण्ड कोस्ट पर अन्य से कार्य करवाने पर इसकी क्षतिपूर्ति निविदादाता से की जावेगी तथा विलम्ब से कार्य करने पर शास्ति की कटौती GG & AR, TTPPA2012,व RTPPR2013 के प्रावधानानुसार किया जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी ठेकेदार / फर्म की रहेगी।
16.	दर्शित कार्य ठेकेदार को कार्यालय के निर्देशानुसार पूर्ण कराने है असफलता की स्थिति में ठेकेदार/फर्म की जमा सुरक्षा राशि जब्त करते हुए संस्था द्वारा यह कार्य आपकी रिस्क व कोस्ट पर अन्य माध्यम से करा लिया जायेगा। अधिक भुगतान होने की स्थिति में यह राशि आपसे वसूलनीय होगी।
17.	ठेकेदार के बिल से नियमानुसार आयकर कटौती की जायेगी।
18.	भोजन की गुणवत्ता के स्तर में गिरावट अथवा मीनू अनुसार सप्लाई नहीं होने की निरन्तर शिकायत प्राप्त होने की दषा में धरोहर व अमानत राशि जब्त कर निविदा निरस्त करने का अधिकार संस्था प्रधान का होगा।
19.	उपायन व पारदर्षिता नियमों के अधीन समयावधि वृद्धि संभव हो सकेगी।
20.	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फूड (Food) वैद्य लाईसेन्स की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
21.	कार्य का विभाजन नहीं किया जायेगा। अलग–अलग कार्यो के लिए पृथक–पृथक निविदादाता/ फर्म की न्यूनतम दर प्राप्त होने पर न्यूनतम दर का निर्धारण/आंकलन प्राप्त दरों के औसत के आधार से किया जायेगा।
22.	सर्विस टैक्स /GST हेतु संबंधित विभाग में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।
23.	ठेकेदार / फर्म द्वारा नियोजित श्रमिकों को ई.एस.आई एवं पी.एफ. वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट प्रावधान एवं अन्य टैक्स यथा जीएसटी आदि देय होने पर समस्त उत्तरदायित्व ठेकेदार/ फर्म का होगा। ई.एस.आई. एवं पी.एफ. निरीक्षक द्वारा चाहे गये अनुसार समय–समय पर रिकार्ड जॉच हेतु प्रस्तुत करना होगा। आकस्मिक दुर्घटना की दषा/लापरवाही से कार्य करने या कराने की स्थिति में सभी जिम्मेदारियाँ ठेकेदार / श्रमिक की होगी।
24.	आयकर कटौती मान्य दरों से संस्था प्रधान द्वारा ठेकेदार / फर्म के बिलों के भुगतान में से काट ली जावेगी।
25.	किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विष्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के आर्बीटेषन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
26.	प्रस्तावित दर भरने से पूर्व भोजन मैन्यू ध्यानपूर्वक पढ़ ले किसी भी प्रकार की कांट–छांट होने पर निविदा स्वीकार नही होगी।
27.	भोजन सप्लाई की समस्त व्यवस्था केन्द्र की कमेटी के दिशा निर्देशन में करनी होगी व उनके संतुश्ट होने पर ही भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत किया जा सकता है।
28.	खाद्य सामग्री सप्लाई करने वाली फर्म के पास खाद्यान्न सप्लाई लाईसेन्स एवं आयकर विभाग का पैन नम्बर होना अनिवार्य है। फोटोप्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
29.	भोजन प्रशिक्षण सत्र पर मीनू के अनुसार ताजा बनाकर खिलाना होगा।
30.	भोजन बनाने एव खिलाने, सफाई आदि समस्त सामग्री एवं कार्यो की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
31.	भोजन की निम्न गुणवत्ता के कारण यदि कोई प्रशिक्षणार्थी अस्वस्थ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वंय ठेकेदार की होगी।
32.	बिल का भुगतान कोषालय द्वारा बिल पास होने पर किया जावेगा। अग्रिम के रूप में कुछ भी दिया नही जावेगा।
33.	लागत के हिसाब से प्रतिदिन का मीनू बनाना होगा।
34.	दो दिवसीय/ तीन दिवसीय/पॉच दिवसीय प्रशिक्षणो में प्रतिदिन का मीनू अलग–अलग होगा।

35.	ठेके को किसी अन्य व्यक्ति के हस्तांतरित नहीं किया जावेगा तथा जिसके नाम ठेका है कार्य उसी व्यक्ति को करना होगा ।
36.	यह ठेका किसी अन्य व्यक्ति को संचालन हेतु नहीं दिया जायेगा।
37.	भोजन आपूर्ति (भोजन बनाने) हेतु किसी भी प्रकार की सामग्री (भगोना, परात, गैस, सिलेण्डर इत्यादि) केन्द्र द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जावेगी। उक्त सामग्री की व्यवस्था स्वंय ठेकेदार को ही करनी होगी।
38.	भोजन केन्द्र के किसान घर में बनाना होगा। खाना खिलाने के लिये पत्तल, दोने, गिलास, पानी, बिछाने की दरी पट्टी इत्यादि की व्यवस्था भोजन आपूर्तिकर्ता को करनी होगी। खाना खिलाने के पश्चात् सफाई की व्यवस्था भी पार्टी निविदादाता को करनी होगी।
39.	कार्य की मात्रा/लागत सिर्फ अनुमानित है इसे आवश्यकतानुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है जिसमें निविदादाता को किसी प्रकार विवरण नही दिया जावेगा तथा कार्यालय की शर्तो के अनुरूप कार्य करना होगा।
40.	प्रथम वरियता प्राप्त पार्टी द्वारा कार्य नहीं संभालने पर ठेका निरस्त करके अगली वरीयता पार्टी को कार्य का आदेष प्रभारी अधिकारी दे सकेंगे। अनुबंध की अवधि आदेश की तारीख से एक साल तक के लिए मान्य होगी। अनुबंध की अवधि कार्य संतोशजनक होने पर आपसी सहमति में अगले एक साल के लिए और बढ़ाई जा सकती है।
41.	किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
42.	निविदा भरने से पूर्व समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़े व प्रत्येक पृश्ठ पर अपने हस्ताक्षर करें।
43.	मैं निविदा की समस्त शर्तो से सहमत हूँ तथा मैं उपरोक्त शर्तो पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ।
44.	सफल निविदादाता को 50/– रूप्ये के नॉन ज्यूडिषियल स्टाम्प पर समस्त शर्तो के तहत कार्य करने व स्वच्छ एवं ताजा भोजन बनाकर देने व कार्यरत श्रमिकों की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी ऐसा लिखकर दो गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर प्रस्तुत करना होगा।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

मैं .... उक्त षर्तो के अधीन रहते हुए भोजन व चाय नाश्ते की व्यवस्था हेतु अपनी दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिसके लिए मैं पूर्ण रू‌प से बाध्य रहूँगा। इस हेतु मैं सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर ठेकेदार

परिशिष्ट संख्या – 1

निविदादाता द्वारा सस्थांगत व असस्थांगत प्रषिक्षण में सप्लाई किये जाने वाले भोजन का विवरण एवं मीन्यू के अनुसार दरों का विवरण वर्ष 2022–23

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	निविदादाता द्वारा दी गयी दरें
1.	**चाय**	
2	**साधारण नाश्ता पैकेट** – समोसा /कचौडी + एक पीस मिठाई/लड्डू + एक केला + चाय	
3	**स्पेशल नाश्ता पैकेट** – समोसा /कचौडी + दो पीस मिठाई/लड्डू + दो केला + 30 ग्राम सलोनी/नमकीन मिक्सर/ बिस्किट पेकेट छोटा + चाय	
4	**साधारण भोजन पैकेट**– एक सूखी सब्जी (मिक्स)+ पूडी/रोटी 10 नग +1 पीस मिठाई/लड्डू+सलाद	
5	**सधारण खाना** – पूडी/ रोटी + सूखी सब्जी +दाल + चावल + रायता + एक मिठाई + सलाद+ पापड	
6	**स्पेशल खाना** – पूडी/ रोटी (चुपडी हुई) + सूखी सब्जी + तरल सब्जी + दाल + चावल + रायता/छाछ + एक मिठाई + अचार + सलाद + पापड़	

मैं निविदा की समस्त शर्तो से सहमत हूँ तथा मैं उपरोक्त शर्तो पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

ठेकेदार के हस्ताक्षर

मय पता

व टेलीफोन नं0 सहित